[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–15 एच०एल०ए०

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह 3 जुलाई, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 5क का संशोधन।

2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5क की उप–धारा (1क) में, "निदेशक, विकास तथा पंचायत विभाग" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "सम्बद्ध उपायुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग ग्राम पंचायतों को उसकी शामलात देह में स्थित भूमि, ऐसे आवेदकों, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर अपने घर बनाए थे, को बेचने की स्वीकृति प्रदान करने के लिये अधिकृत है। अभी बड़ी संख्या में आवेदन अलग–अलग स्तरों पर स्वीकृति की प्रतिक्षा में लम्बित हैं। ऐसी स्वीकृति देने की प्रक्रिया को तेज करने और योग्य आवेदकों को समय पर राहत देने के लिए, संबंधित उपायुक्त को स्वीकृति देने का अधिकार सौंपना जरूरी समझा गया है। अधिकारों के इस विकेंद्रीकरण से तेजी से फैसले लेने में मदद मिलने और लंबित मामलों की संख्या कम होने की उम्मीद है।

अतः यह विधेयक है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 अगस्त, 2026.

डॉ० वीरेंद्र कमार दहिया, भा.प्र.से
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 26 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 से उद्धरण

X X X X X X

5क. (1) कोई पंचायत इस अधिनियम के अधीन अपने में निहित शामलात देह भूमि ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो विहित की जाएं, ऐसे व्यक्ति, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणियों के सदस्य भी शामिल हैं, को दान, विक्रय आदान–प्रदान या पट्टे पर दे सकती है:

"(1क) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी पंचायत, निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के पूर्व अनुमोदन से, शामलात देह में स्थित अपनी गैर–कृषि योग्य भूमि, जिस पर गांव के किसी निवासी द्वारा 31 मार्च, 2004 को या उससे पूर्व मकान का निर्माण किया गया है, निर्मित क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत तक के खुले स्थान सहित जो दोनों को मिलाकर पांच सौ वर्ग गज से अधिक न हो और जो यातायात और अन्य जन उपयोगिताओं को कोई बाधा नहीं पहुँचा रहा है और तालाब या किसी अन्य जल निकाय या राजस्व रास्ता, जो ऐसे रूप में राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट है, के लिए आरक्षित की गई भूमि भी नहीं है, उपरोक्त निवासी को ऐसी दर, जो विहित की जाए, पर विक्रय द्वारा अंतरित कर सकती है।"।

X X X X X X

12824-H.V.S.-H.G.P., Pkl.